पेपर लीक पर सदन में पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

नई दिल्ली, 28 जुलाई. लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली.

भाजपा सांसदों ने विधेयक को परीक्षा माफिया पर निर्णायक प्रहार बताते हुए कहा कि इससे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा होगी, जांच एजेंसियों को मजबूती मिलेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को जल्द सजा मिलेगी. वहीं विपक्ष ने सरकार से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में विफल रहने, छात्रों के आंदोलनों पर बल प्रयोग करने और गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया. विपक्षी नेताओं ने छात्र हितों, पुलिस कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही को लेकर कई सवाल उठाए, जबकि सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से बचने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया. परीक्षा प्रणाली, छात्रों के भविष्य और शिक्षा सुधार को लेकर सदन में सत्ता और विपक्ष आमने-सामने नजर आए.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में विपक्ष पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर नीट पेपर लीक और पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पर चर्चा से भागने तथा जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है.

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर सेलेक्टिव आउटरेक' दिखाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि परीक्षा माफिया एक क्रिमिनल नेटवर्क बन चुका है, और यह कड़ा कानून लाना पीएम मोदी की संवेदनशीलता का प्रमाण है.

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा कि छात्रों को राजनीति नहीं बल्कि समाधान चाहिए. युवाओं को इस बात से मतलब नहीं है कि अतीत में किस सरकार के तहत क्या हुआ, उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि भविष्य के लिए परीक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी.

कांग्रेस सांसद क.सी. वेणुगोपाल ने आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए और कहा कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा से पहले उन्होंने कहा कि इतने अहम बिल पर चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदन में मौजूद नहीं हैं.

गौरव गोगोई विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार से सवाल किया कि छात्रों के प्रदर्शन पर पेलेट गन और बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था. उन्होंने इस नए बिल को महज एक शोपीस' करार दिया. नए विधेयक को 'दिखावा' बताया, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखे सवाल किए.

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जंतर-मंतर पर मौजूद मां की पीड़ा को समझना चाहिए. यह राजनीति नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य का मुद्दा है. सुले ने जंतर-मंतर लाठीचार्ज की एसआईटी जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि हर मुद्दे को पाकिस्तान या चीन से जोड़ना बंद होना चाहिए.

पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों से सीधे जुड़े हुए हैं–अनुराग

भाजपा के अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से सीधे जुड़े हुए हैं. उन्होंने छात्र आंदोलन को लेकर वीडियो पोस्ट किया तो उसके करोड़ों लोगों ने देखा और दूसरा वीडियो डाला तो दोनों वीडियो को 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है. यह श्री मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है. विपक्ष ने लोकप्रियता शब्द पर टोकाटोकी की तो उन्होंने कहा कि यदि श्री मोदी लोकप्रिय नहीं होते तो वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते.

पीओके में चुनावी प्रक्रिया दिखावा : एमईए

पाकिस्तान पर विदेश मंत्रालय का सख्त संदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कई दशकों से भारत के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है.

उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों और विशेष रूप से युवा पीढ़ी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के पूर्ण खात्मे की स्पष्ट मांग की है और सरकार का रुख भी इसी दिशा में पूरी तरह स्पष्ट है. रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा.

उन्होंने दोहराया कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवादी गतिविधियों और सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक दोनों देशों के बीच सामान्य द्विपक्षीय संबंध बहाल होने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में द्विपक्षीय समझौतों और व्यवस्थाओं को सामान्य स्थिति में लाने का भी प्रश्न नहीं उठता.

प्रवक्ता ने कहा कि वहां कराई जा रही चुनावी प्रक्रिया केवल दिखावा है और इससे वहां के लोगों की वास्तविक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता. उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट और लगातार रुख है कि पूरा जम्मू-कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है. रणधीर जायसवाल ने पीओके में बिगड़ते हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है.

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि हाल के घटनाक्रमों में 20 लोगों की मौत हुई है, जो वहां के प्रशासनिक और सुरक्षा हालात पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति पर कायम है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से जवाबदेही की अपेक्षा करता है. भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को समाप्त किए बिना और पाकिस्तान द्वारा अपने रवैये में ठोस बदलाव किए बिना द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती.

व्हाइट हाउस में ट्रम्प की मेगा कूटनीति

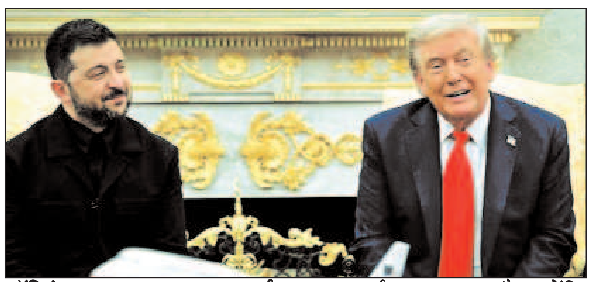

वॉशिंगटन, 28 जुलाई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मंगलवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग-अलग उच्चस्तरीय बैठक करेंगे.

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से इन बैठकों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं के सामने अपने-अपने क्षेत्र की गंभीर सुरक्षा चुनौतियां हैं और अमेरिका की भूमिका दोनों मामलों में निर्णायक मानी जाती है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रूस के खिलाफ जारी युद्ध में अमेरिका से अतिरिक्त सैन्य सहायता की उम्मीद लेकर वॉशिंगटन पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि वे लंबी दूरी की मिसाइलों, आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली, गोला-बारूद और अन्य रक्षा उपकरणों की मांग रखेंगे. रूस के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन अपने रक्षा तंत्र को और मजबूत करना चाहता है ताकि युद्ध में अपनी स्थिति बेहतर कर सके. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे समय अमेरिका पहुंचे हैं, जब गाजा में संघर्ष और ईरान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार चिंता जता रहा है. कई देशों की ओर से युद्धविराम, मानवीय सहायता बढ़ाने और क्षेत्रीय तनाव कम करने की अपील की जा रही है.

राजस्थान में मां और दो बच्चों की डूबने से मौत

उदयपुर, 28 जुलाई. राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र स्थित दूदवा गांव में सोमवार देर रात हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ पानी की टंकी में छलांग लगा दी, जिससे तीनों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई. मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली तो गांव में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पचपदरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. स्थानीय लोगों की सहायता से महिला और दोनों बच्चों के शवों को पानी की टंकी से बाहर निकाला गया. इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्यवाई शुरू कर दी.

नाम एवं जन्मतारीख परिवर्तन सूचना

मैं सेना क्रमांक 16015434 F रैंक – NK (TS) टीकम सिंह ठाकुर निवासी ग्राम अजनोटी तहसील और जिला उज्जैन (म.प्र.) घोषणा करता हूं कि मेरे आर्मी सेवा अभिलेखों के अनुसार मेरे माता पिता का नाम और जन्मतिथि श्यामा के रूप में और जन्मतिथि 01 जुलाई 1967 दर्ज है जबकी मेरे पिता की जन्मतिथि 01 जुलाई 1954 दर्ज है जो की गलत है। आधारकार्ड और अन्य सभी दस्तावेजों के अनुसार मेरे माता पिता का सही नाम और जन्मतिथि इस प्रकार है **श्यामा ठाकुर** (माता) जन्मतिथि 1 जनवरी 1962 और मेरे पिता **भंवरसिंह** जिनकी जन्मतिथि 23 अक्टुबर 1956 है जो सभी प्रकार से सही है।

NAME CHANGE

I Anju W/o Anil Kumar, R/o 444 A, Vidur Nagar, Indore, Sudama Nagar, Madhya Pradesh - 452009 have changed my name to Anju Sharma for all purposes.

आम सूचना

[illegible] ...को सम्पति के किसी भी अंश का कब्जा नहीं दिया गया था श्री मदन मोहन शर्मा द्वारा इकरारनामें की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी शेष विक्रय प्रतिफल राशि मुझे अदा नहीं की गई है ना ही विक्रयपत्र पंजीयन की दिशा में कोई कार्यवाही की गई है मैं उक्त इकरारनामें की पालना करने को पूर्ण तैयार व इच्छुक हूँ। अतः सूचित किया जाता है कि यदि सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर श्री मदन मोहन शर्मा द्वारा शेष प्रतिफल अदा कर विक्रय पत्र पंजीयन नहीं करवाया जाता है तो उक्त इकरारनामा निरस्त समझा जावेगा तथा बयाना राशि जब्त मानी जावेगी। उक्त अवधि पश्चात मैं उक्त भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को बेचान करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा। सूचित रहे।

दिनांक 28.07.2026 भवदीय गंगाशरण गुप्ता

Sitara — सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
CIN : U65923DL2011PLC222491
कॉर्पोरेट कार्यालय: द्वितीय तल, श्री सावन नॉलेज पार्क, D-507, TTC इंडस्ट्रियल एरिया, MIDC इंडस्ट्रियल एरिया, तुर्भे, नवी मुंबई - महाराष्ट्र - 400705 - भारत

देवास शाखा के प्रस्तावित बंद किए जाने संबंधी सार्वजनिक सूचना का निरस्तीकरण

यह समस्त ग्राहकों, हितधारकों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि **सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) **की देवास शाखा के प्रस्तावित बंद किए जाने संबंधी सार्वजनिक सूचना, जो 04 अप्रैल, 2026 तथा 29 मई, 2026 को क्रमशः फ्री प्रेस (अंग्रेजी) एवं नवभारत (हिंदी – स्थानीय भाषा) समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त एवं वापस लिया जाता है।** अतः देवास शाखा को बंद किए जाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है तथा उक्त शाखा अपने वर्तमान परिसर से पूर्ववत कार्य करती रहेगी। शाखा का पता निम्नानुसार है:
कार्यालय क्रमांक 101–102, प्रथम तल, साई लीला बिल्डिंग, 26, अग्रोहा नगर, शीबा होटल के पीछे, ए.बी. रोड, देवास, मध्य प्रदेश – 455001
देवास शाखा अपने ग्राहकों को पूर्ववत् अपनी सभी सेवाएँ सामान्य रूप से उपलब्ध कराती रहेगी। ग्राहक एवं अन्य हितधारक बिना किसी व्यवधान के शाखा के माध्यम से कंपनी की सेवाओं का लाभ पूर्ववत् प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में प्रकाशित सूचना के कारण हुई किसी भी असुविधा के लिए सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड खेद व्यक्त करती है.

प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : मध्य प्रदेश — सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
दिनांक : 27.07.2026 — (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

भारत से रिश्ते सुधरने की दिशा में नेपाल

काठमांडू, 28 जुलाई, नेपाल के नए राजनीतिक नेतृत्व ने भारत के साथ संबंधों को अधिक व्यावहारिक, संतुलित और भविष्य उन्मुख बनाने के संकेत दिए हैं.

आर्थिक विकास, निवेश, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क को प्राथमिकता देते हुए नेपाल अब भारत के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है. इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. भारत और नेपाल के संबंध केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी हैं. खुली सीमा व्यवस्था, लोगों का सहज आवागमन, व्यापारिक संपर्क और साझा विरासत दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाती है. नेपाल की आर्थिक प्रगति में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम पाइपलाइन, सीमा संपर्क, विद्युत व्यापार और आधारभूत संरचना से जुड़ी कई परियोजनाएं दोनों देशों के सहयोग का उदाहरण हैं. यदि इन परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जाता है तो नेपाल की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और भारत-नेपाल व्यापार भी विस्तार पाएगा. हाल के वर्षों में कुछ राजनीतिक और सीमा संबंधी मुद्दों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव की स्थिति बनी थी.

एक नजर में

यमुना में डूबे 4 दोस्त 2 के शव बरामद, 2 लापता

नई दिल्ली, 28 जुलाई. राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सोमवार शाम यमुना नदी में नहाने गए चार दोस्त तेज बहाव की चपेट में आ गए. अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि दो अन्य अब भी लापता हैं. मंगलवार सुबह करीब दस बजे राजन (32) का शव नदी से बाहर निकाला गया, जबकि सोनू (35) का शव सोमवार देर शाम करीब आठ बजे स्थानीय गोताखोरों की मदद से निकाल लिया गया था. घटना में लापता दो अन्य दोस्तों हेमंत (27) और सचिन (35) की तलाश के लिए जारी अभियान को खराब मौसम और बारिश के कारण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. जीरो पुश्ता रोड स्थित मदीना मस्जिद के पास जैसे ही वे नदी में उतरे, कथित तौर पर पानी के तेज बहाव में बह गए.

देसी कट्टे के साथ प. बंगाल का युवक गिरफ्तार

पंचकूला. हरियाणा पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी ने मंगलवार को पूछताछ में खुलासा किया कि उसने यह हथियार पांच हजार रुपये में खरीदा था. अब पुलिस हथियार उपलब्ध कराने वाले आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान फिरदौस आलम (41) के रूप में हुई है. वह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले का रहने वाला है और फिलहाल मोहाली में रह रहा है. प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा, सेक्टर-19 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सेक्टर-15 के खुले मैदान में अवैध हथियार लेकर घूम रहा है. सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर प्रवीण मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया.

हस्तियों के ट्वीट

उद्योगपति नवीन जिंदल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए युवा वकील कौरवाकी एम.के. को उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा कि गर्व से भरे माता-पिता और इस होनहार युवा वकील को हार्दिक बधाई. नवीन जिंदल ने कहा कि हमारे ग्रेजुएट्स की ऊर्जा, प्रतिभा और समर्पण को देखकर भविष्य के प्रति उनका विश्वास और मजबूत होता है.

इटली प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही सोशल मिडिया एक्स एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव एक बार फिर ईंधन की कीमतों को बढ़ा रहा है, और इसके साथ ही सड़क मार्ग से यात्रा करने वाली हर चीज़ की लागत भी बढ़ रही है. इस मूल्य वृद्धि का सामना करते हुए, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन जिसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है, हमने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (जो पहले कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड थी और अब आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में मिल गई है) के अधिकृत अधिकारी के तौर पर, 'फाइनेंशियल एसेट्स के सिक्युरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन और सिक्युरिटी इंटरेस्ट के एनफोर्समेंट एक्ट, 2002' के तहत और 'सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैंने 08.08.2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया था। इसमें उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटर - 1. कमल सिंह बाबरी 2. संगीता बाई बाबरी - से कहा गया था कि वे नोटिस में बताई गई रकम रू. 5,01,955.20/- (पांच लाख एक हजार नौ सौ पचपन और बीस पैसे) को, डिमांड नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें।
उधारकर्ताओं द्वारा रकम न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि मैंने, एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) और 'सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का फिजिकल कब्जा 24 जुलाई 2026 को ले लिया है।
खास तौर पर उधारकर्ताओं और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (जो पहले कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड थी और अब [illegible] बैंक लिमिटेड में मिल गई है) के रू. 5,01,955.20/- (पांच लाख एक हजार नौ सौ पचपन और बीस पैसे) और उस पर लगने वाले ब्याज के चार्ज के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सिक्योर्ड एसेट्स को छुड़ाने (रिडीम करने) के लिए उपलब्ध समय के बारे में है।

अचल संपत्तियों का विवरण

घर नंबर 21 का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 2240 वर्ग फुट है; यह पीएच नंबर 22, वार्ड नंबर 12, ग्राम आबादी खसरा नंबर 116, ग्राम खेदामोदी, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में मोहन बाई, पश्चिम में गोवर्धनलाल, उत्तर में गोवर्धनलाल की कृषि भूमि, और दक्षिण में आम रास्ता।

दिनांक: 24.07.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 112653627
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	37130170 & 66673302	संपत्ति के बदले ऋण	15-07-2026	3,28,096.99/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. दीपक नानूराम 2. नानूराम रतनलाल 3. संगीता बाई

संपत्ति का पता: वह पूरा प्लॉट/भवन (कर पंजी नं.152, हाउस नं.168, कुल क्षेत्रफल 1265 वर्ग फुट - पूर्व-पश्चिम 23 फुट और उत्तर-दक्षिण 55 फुट), जो सर्वे नं.21, ग्रामः अजदावडा, पीएच नं.21, तह.: बड़नगर, जिलाः उज्जैन, म.प्र.- 456776 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः लक्ष्मीनारायण जी का घर, पश्चिमः संजय जोशी जी का घर, उत्तरः सड़क, दक्षिणः सड़क।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	47962244	होम लोन	18-07-2026	2,29,961.41/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. गिरिराजसिंह लक्ष्मणसिंह 2. लाल कुँवर

संपत्ति का पता: वह पूरी प्रॉपर्टी/घर/ग्राम पंचायत संपत्ति कर रजिस्टर नंबर 86, कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (मापः पूर्व-पश्चिमः 30 फुट और उत्तर-दक्षिणः 30 फुट), जो ग्राम आबादी सर्वे नंबर 103/1, गांवः सांडला, पीएच नंबर 09, तहसीलः सरदारपुर, जिलाः धार, मध्य प्रदेश-454111 में स्थित है और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः लक्ष्मण सिंह का घर, पश्चिमः खाली जमीन, उत्तरः अपनी खाली जमीन, दक्षिणः सड़क।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	114903911	होम लोन	15-07-2026	7,19,308.30/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. संदीप जगदीश 2. संतोष बाई जाट

संपत्ति का पता: वह पूरी प्रॉपर्टी/जमीन जिसका डायवर्टेड एरिया 278 वर्ग मीटर है, जो लैंड सर्वे नंबर 532/2/2, गाँवः जाबडा, पीएच नंबर 03, तहसीलः बदनावर, ज़िलाः धार, मध्य प्रदेश-454660 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः बलराम (पिता लक्ष्मण) का घर, पश्चिमः कैलाश (पिता लक्ष्मण) का घर, उत्तरः अपनी जमीन, दक्षिणः सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 29.07.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

कार्यालय नगर पालिक निगम, खंडवा (म.प्र.)

(स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग)

क्रमांक / स्वठोअप्रवि. / ई-टेण्डरिंग2026 / 256 — खण्डवा, दिनांक 24/07/2026

निविदा विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम खंडवा वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक के लिये निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य की निविदा का विवरण वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं.	ऑन लाईन पोर्टल	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	सम्रग
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_UADD _524208_1	Offers inviting Sterilization & immunization of stray dogs in kmc under animal birth control programme	21.00 (इक्कीस लाख रूपये मात्र)	21000/-	5000/-	अनुबंध दिनांक से आगामी एक वर्ष के लिए

1. निविदा ऑनलाईन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक :- 10/08/ 2026 (शाम 5.30 बजे तक)
2. निविदा खोलने की दिनांक 12/08/ 2026 प्रातः 10.30 बजे तक

निविदा संबधी समस्त जानकारी वेबसाईट http//www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो यह समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया जावेगा।

प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम खंडवा

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

(उद्यान विभाग)
E-mail: udhyanvibhag@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 04/उद्यान/26-27/जी-01-02 तक — **निविदा आमंत्रण** — दिनांक: 27.07.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_524451_1	उद्यान विभाग अंतर्गत शहर के सौन्दर्यीकरण हेतु विभिन्न प्रजातियों के पौधो एवं घास की वार्षिक दर निर्धारण करने बाबद। (तृतीय आमंत्रण)	₹0/-	₹ 2,000/- ₹10,000/-	10-08-2026 6.00 PM 12-08-2026 10.00 AM
02	2026_UAD_524464_1	उद्यान विभाग अंतर्गत शहर के सौन्दर्यीकरण हेतु विभिन्न प्रजातियों के पौधों को गड्ढे कर लगाने एवं 01 माह संधारण सहित वार्षिक दर निर्धारण करने बाबद्। (तृतीय आमंत्रण)	₹0/-	₹ 2,000/- ₹ 10,000/-	10-08-2026 6.00 PM 12-08-2026 10.00 AM

नोट : निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन **https://www.mptenders.gov.in/** की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

उद्यान अधिकारी
उद्यान विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

कब्जा नोटिस (सुरक्षा हित के नियम 8(2) के अनुसार (प्रवर्तन) नियम, 2002)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किए। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित तिथियों को। ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तिथि	संपत्ति का विवरण और कब्जे की तिथि	कब्जे के लिए मांगी गई राशि नोटिस (रु.)
1. मैसर्स ए.एल. अनोखीलाल मनोरिया ईट सप्लायर 2. स्वर्गीय श्री अनोखी लाल मनोरिया के कानूनी उत्तराधिकारी, 3. श्रीमती चिंता देवी, 4. श्री गोकुल प्रसाद मनोरिया, 5. श्रीमती संगीता मनोरिया, 6. श्रीमती पवन कुमार मनोरिया, पता हैः मकान-21, वार्ड नं.13, महावीर मार्ग, वीटीसी सोनकच्छ, पो. सोनकच्छ, जिला देवास, मप्र-455 118, और भी, यहांः मैसर्स. ए.एल. अनोखीलाल मनोरिया ईट सप्लायर, पताः डायवर्टेड प्लॉट और निर्मित मकान (खसरा) संपत्ति क्र.218 (नया क्र.128), सर्वेक्षण क्र.955 और 958 में स्थित है मेहतर मोहल्ला ग्राम सोनकच्छ में वार्ड क्र.14 में पैकी, जिला. देवास (म.प्र.), पिनकोड-455118, डिमांड नोटिस दिनांकः 20 मई 2026 ऋण खाता संख्या 31277 (PR00851180)	डायवर्टेड प्लॉट और बने हुए घर (खसरा) वाली पूरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 218 (नया नंबर 128), कुल एरिया 1941.00 sq.ft. (180.94 sq.mtr.), जो सर्वे नंबर 955 और 958 पैकी, वार्ड नंबर 14, मेहतर मोहल्ला, गांव सोनकच, जिला देवास (म.प्र.), पिनकोड-455 118 में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः श्री कैलाशसिंह बघेल का बाड़ा, उत्तरः चंगा मेहतर का घर, दक्षिणः श्री मांगीलाल प्रजापत को बेची गई घर की प्रॉपर्टी का बचा हुआ हिस्सा। प्रतीकात्मक कब्जे की तारीखः 27 जुलाई, 2026।	रू. 38,12,283/- (अड़तीस लाख बारह हजार दो सौ तिरासी मात्र) 20 मई, 2026 तक, साथ ही 21 मई, 2026 से बिना लगाया गया ब्याज
1. प्रतीक माली, 2. नंदकिशोर माली,, 3. सुनीता माली पताः वार्ड नं.- 12, अंजुमन रोड, के अनुसार गाइड लाइन वार्ड क्र.10), मोजा टीलाखेड़ा, मल्हारगढ़ एवं जिला मंदसौर - 458664, डिमांड नोटिस दिनांकः 07 मई 2026 ऋण खाता सं. 402106000279286 (PR01299657) एवं 402106000308448-सी (PR01332688)।	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो मकान/दुकान नंबर 125, पिपलिया मंडी वार्ड नंबर 12 (गाइडलाइन के अनुसार वार्ड नंबर 10), मौजा तिलकहेडा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, म.प्र. 458664 का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल 53.558 वर्ग मीटर है। सीमाएँ: पूर्व - सैयद फसीउद्दीन का मकान, पश्चिम - अंजुमन रोड (21 फीट), उत्तर - श्री दीपकचंद का मकान, दक्षिण - अंजुमन गली नंबर 4, प्रतीकात्मक कब्जे की तारीखः 27 जुलाई, 2026।	रू. 16,18,563/- (सोलह लाख अठारह हजार पाँच सौ तिरेसठ मात्र) 15 अप्रैल 2026 तक और साथ ही 16 अप्रैल 2026 से बिना लगाया गया ब्याज,

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स्थानः देवास/मंदसौर/मध्य प्रदेश, दिनांकः 29.07.2026 — एसडी/- अधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड